न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा(राज0)
बइजलास श्रीमती पुष्पा हरवानी R.A.S.

मिसल नंबर 40/19 निर्णय दिनांक 24.09.2019

बउनवान

1.अरविन्द आयु 27 वर्ष पुत्र श्री किशनलाल जाति मेहर निवासी कनवास जिला कोटा (राज0) —वादी—

बनाम

1.रामचन्द्री बाई आयु 65 वर्ष पुत्री बाल्या पत्नी दुर्गाशंकर जाति मेहर निवासी कनवास जिला कोटा।

2.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित :—

वादी की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया।

प्रतिवादीगण 01 की ओर से एडवोकेट श्री बद्रीलाल मेरोठा।

वाद घोषणा हक खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कनवास की आराजी खसरा नम्बर 1416 की 3.88 है0 किस्म नहरी स्थित है जो कि प्रतिवादी कम 01 के खाते दर्ज है। नकल जमाबन्दी स्थित सम्बत् 2073—2076 खाता संख्या 461 संलग्न वाद पत्र है।

यह कि उक्त आराजी इससे पूर्व मु0 सीताबाई बेवा बाल्या व रामचन्द्री बाई पुत्री बाल्या कौम मेहर सा0 के संयुक्त खाते में दर्ज थी जिसमें 1/2 हिस्सा सीता बाई का व 1/2 हिस्सा रामचन्द्री का दर्ज था नकल जमाबन्दी सम्वत् 2058 खाता संख्या 488 संलग्न है।

यह कि सीता बाई के कोई पुत्र नहीं था इसलिये सीताबाई ने अपनी सेवा व तिमारदारी के लिये वादी को अपने पास रखा तथा वादी व वादी की माता ने सीताबाई की काफी सेवा सुश्रुषा की जिससे खुश होकर सीताबाई ने एक वसीयत नामा दिनांक 15.12.1995 को वादी के पक्ष में लिखाकर उपपंजीयक कार्यालय सांगोद में रजिस्टर्ड करवाया उक्त वसीयत नामा में सीताबाई ने उसके हक की जुमला जायदाद का मालिक वादी को बनाया था, जिसके कारण सीताबाई के मृत्यु के समय ग्राम कनवास में स्थित खसरा नम्बर 1416 की 3.88 है0 में निहित सीताबाई के 1/2 हिस्से को हकदार वादी हुआ। तथा सीताबाई के 1/2 हिस्से को अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारी हुआ, परन्तु वक्त सीताबाई की मृत्यु वादी के नाबालिग होने तथा वादी की विधवा माता चमेली बाई के अज्ञानता के कारण सीताबाई के 1/2 हिस्से की आराजी पर वसीयतनामा के आधार पर वादी का नाम दर्ज नही करा सकें, तथा सीताबाई का नामान्तरण विरासतन उसकी पुत्री रामचन्द्री के नाम तस्दीक हो

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

गया। और रामचन्द्री पहले में ही 1/2 हिस्से में दर्ज होने तथा सीताबाई के 1/2 हिस्से का नामान्तरण पुत्री रामचन्द्री के नाम दर्ज हो जाने से सीताबाई उक्त खसरा नम्बर 1416 की 3.88 है0 में 1/2 के स्थान पर सम्पूर्ण आराजी की खातेदार दर्ज हो गई, इस प्रकार वादी नाबालिग अवस्था तथा वादी की विधवा माता की अज्ञानता से वादी के हितों पर कुठाराघात हुआ है तथा वादी खसरा नम्बर 1416 की 3.88 है0 में अपने को 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज कराने से वंचित हो गया। सीताबाई द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर सीताबाई के उक्त आराजी में 1/2 हिस्से का अधिकारी होने से यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि वाद प्रस्तुत से पूर्व वादी द्वारा रामचन्द्री बाई से उसके खाते की आराजी में से 1/2 हिस्से की आराजी वादी के नाम दर्ज कराने को कहा तो उन्होनें अंतिम बार 01.06.2019 को मना कर दिया वहीं वादी वसीयत के आधार पर अपना नाम दर्ज कराने हेतु प्रार्थना–पत्र लेकर प्रतिवादी नम्बर 02 के पास गया तो उन्होने माननीय न्यायालय में दावा दायरी के निर्देश दिये इस लिये वाद कारण 01.06.2019 तथा अंतिम बार 15.06.2019 को उत्पन्न हुआ।

यह कि प्रतिवादी नम्बर 01 उक्त आराजी के विक्रय पर उतारू हो रही है। इस कारण यह वाद अति आवश्यक प्रकृति का होने से राज्य सरकार को धारा 80 सी.पी.सी. को नोटिस दिये बिना ही धारा 80(2) सी.पी.सी के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये पुनः निवेदन किया है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी नम्बर 1 के विरूद्ध खातेदारी हक घोषणा की डिक्री पारित फरमाई जाकर ग्राम कनवास की आराजी खसरा नम्बर 1416 की 3.88 है0 वादी को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी नी क्रम 1 को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी क्रम 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करवाया जावे,।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर तलवी प्रतिवादीगण को जारी की गयी है।

प्रतिवादीगण 01 रामचन्द्री बाई द्वारा दिनांक 27/08/2019 को जरिये एडवोकेट जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी को ग्राम कनवास की आराजी खसरा नम्बर 1416 की 3.88 है0 में 1/2 हिस्से का खातेदार टेनेन्ट घोषित किया जाकर वादी का वाद डिक्री कर दिया जाने मे मुझ प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही दिनांक 17/09/2019 को वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 01 द्वारा मय अभिव्यक्ता के न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कनवास में स्थित खसरा नम्बर 1416 की रकबा 3.88 है0 आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार वादी अरविन्द पुत्र किशनलाल जाति मेहर निवासी कनवास तथा 1/2 हिस्से को खातेदार प्रपिवादी 01 रामचन्द्री बाई पुत्री बाल्या पत्नी दुर्गाशंकर जाति मेहर निवासी कनवास को घोषित कर राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद किया जावें तथा इसके मुताबिक डिक्री जारी की जावें।

वादी की पहचान उनके अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान उनके अधिवक्ता श्री महावीर मेरोठा द्वारा की गयी । राजीनामा दोनों पक्षकारों को पढ़कर सुनाया गया । दोनों पक्षकारों ने राजीनामा सुना एवं सुनकर मुताबिक राजीनामा दावा

उपखण्ड अधिकारी

डिक्री किये जाने में अपनी सहमति प्रस्तुत की। अपने अधिवक्ता की हमारे द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों संलग्न, दस्तावेजों, जवाब प्रति नम्बर 01,वादी एवं प्रतिवादी कम के आधार पर हम ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा की खाता संख्या 416 की रकबा 3.88 है0 में 1/2 हिस्से का खातेदार वादी अरविन्द व 1/2 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी कम 01 रामचन्द्री बाई को घोषित किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः वादी का वाद मुताबिक राजीनामा ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा की खाता संख्या 1416 की रकबा 3.88 है0 में 1/2 हिस्से का खातेदार वादी अरविन्द व 1/2 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी कम 01 रामचन्द्री बाई को घोषित किया जाता है। मुताबिक निर्णय राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। तथा उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

आदेश आज दिनांक 24.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पुष्पा हरवानी (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)
अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम **कनवास**
न्यायालय ब इजलास श्रीमती पुष्पा हरवानी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

बउनवान

1. अरविन्द आयु 27 वर्ष पुत्र श्री किशनलाल जाति मेहर निवासी कनवास जिला कोटा (राज0) —वादी—

बनाम

1.रामचन्द्री बाई आयु 65 वर्ष पुत्री बाल्या पत्नी दुर्गाशंकर जाति मेहर निवासी कनवास जिला कोटा।
2.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

—प्रतिवादीगण—

वाद घोषणा हक खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. 40/19 सन् 2019 तारीख फैसला 24.09.2019 **न्यायालय ब इजलास श्रीमती पुष्पा हरवानी उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट **श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया वादी** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी 01 की ओर से एडवोकेट श्री बद्रीलाल मेरोठा तथा राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अंतिम डिक्री जारी की जाती है वादी का वाद मुताबिक राजीनामे के आधार पर स्वीकार कर आदेश दिया जाता है **ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा की खाता संख्या 1416 की रकबा 3.88 है0 में 1/2 हिस्से का खातेदार वादी अरविन्द व 1/2 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी क्रम 01 रामचन्द्री बाई को घोषित किया जाता है। मुताबिक निर्णय राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद** किया जावे तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की **जाती है**। नीज ... **X** ...मुबलिग .... **X** ...बाबत ... **X** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **24.09.2019** माह **सितम्बर 2019** को जारी की गई।

मोहर ....

पुष्पा हरवानी (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ''''	----------NIL------		स्टाम्प वकालतनामा ''''	----------NIL------	
स्टाम्प वकालतनामा ''''			स्टाम्प अर्जी ''''		
स्टाम्प वजह सबूत ''''			महनताना वकील ''''		
महनताना वकील ''''			खर्चा गवाहान ''''		
खर्चा गवाहान ''''			फीस कमिश्नर ''''		
फीस कमिश्नर ''''			बाबत इजराय हुकमनामा ''''		
बाबत इजराय हुकमनामा ''''			मुतफर्रिक ''''		
मुतफर्रिक ''''			मीजान ''''		
मीजान ''''					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

पुष्पा हरवानी (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास